

भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय  
राज्य सभा  
लिखित प्रश्न सं. 1409 #  
गुरुवार, 11 दिसम्बर, 2025/20 अग्रहायण, 1947 (शक)  
को दिया जाने वाला उत्तर

### पर्यटन स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा

#### 1409 # डा. संदीप कुमार पाठक:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार मुन्नार को 'महिला-अनुकूल और लैंगिक-समावेशी पर्यटन स्थल' के रूप में विकसित करने की केरल सरकार की योजना को देश भर के अन्य स्थानों पर लागू करने के लिए एक मॉडल के रूप में अपनाने पर विचार कर रही है;
- (ग) क्या सरकार राज्यों को उनके संबंधित पर्यटन स्थलों पर कार्यान्वित किए गए लैंगिक संवेदनशीलता उपायों के आधार पर रैकिंग और प्रोत्साहन देने की योजना बना रहा है; और
- (घ) क्या सुरक्षा, स्वच्छता और समावेशी डिजाइन के मानदंडों पर प्रमुख पर्यटन स्थलों का लैंगिक आधार पर लेखापरीक्षा कराने की कोई योजना है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा मुख्य रूप से राज्य का विषय है। पर्यटन मंत्रालय में महिला सुरक्षा से संबंधित एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों के लिए जमीनी सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने हेतु समर्पित पर्यटन पुलिस की स्थापना हेतु सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के साथ लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है। पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने पर्यटक पुलिस तैनात की है।

पर्यटकों के लिए यात्रा को सुरक्षित और संरक्षित बनाने के लिए मंत्रालय के निरंतर प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए टोल फ्री नंबर 1800111363 या संक्षिप्त कोड 1363 पर 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं (जर्मन, फ्रैंच, स्पेनिश, इतालवी, पुर्तगाली, रूसी, चीनी, जापानी, कोरियाई, अरबी), हिंदी और अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में 24x7 बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन की स्थापना की है, ताकि भारत में यात्रा से संबंधित जानकारी के संदर्भ में सहायता सेवा प्रदान की जा सके और भारत के भीतर यात्रा करते समय संकट में फँसे पर्यटकों को उचित मार्गदर्शन दिया जा सके।

इसके अतिरिक्त, यह भी बताया जाता है कि सरकार ने एक समर्पित गैर-व्यपगत कॉर्पस कोष - निर्भया कोष की स्थापना की है, जिसका संचालन वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है और जिसका उपयोग विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा में सुधार के लिए तैयार की गई परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।

पर्यटन मंत्रालय समय-समय पर सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से निर्भया कोष के अंतर्गत 'महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल' का लाभ उठाने का अनुरोध करता रहा है, जिसका उपयोग विशेष रूप से महिला पर्यटकों की सुरक्षा में सुधार हेतु डिज़ाइन की गई परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।

पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन विभागों सहित सभी हितधारकों के साथ 'सुरक्षित और सम्मानजनक पर्यटन के लिए आचार संहिता' को अपनाया है, जो पर्यटकों और स्थानीय निवासियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की गरिमा, सुरक्षा और शोषण से मुक्ति जैसे मूलभूत अधिकारों के संबंध में पर्यटन संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देशों का एक संग्रह है।

महिला सुरक्षा प्रभाग, गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा महिलाओं एवं बच्चों सहित नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है और राज्य सरकारों कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं। तथापि, गृह मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न पहलें और उपाय करके राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के प्रयासों में सहायता करता रहा है तथा इन प्रयासों का संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है:-

(i) गृह मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) स्थापित करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लक्षित 16469 पुलिस स्टेशनों में से 14658 में डब्ल्यूएचडी स्थापित किए गए हैं तथा 13743 डब्ल्यूएचडी का नेतृत्व महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का उद्देश्य पुलिस स्टेशनों को महिलाओं के लिए अधिक सुलभ एवं अनुकूल बनाना है, महिला हेल्प डेस्क महिलाओं के लिए संपर्क करने का एकमात्र केंद्रबिंदु होगा, महिला हेल्प डेस्क के अधिकारियों को महिलाओं की शिकायतों से संवेदनशील रूप से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।

(ii) गृह मंत्रालय महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को सलाह जारी करता रहा है। इन परामर्शों-पत्रों में अन्य बातों के साथ ही अपराध रोकने, घटना की जांच करने और अभियोजन चलाने, अपराध रोकने के उपाय, एफआईआर दर्ज करने, महिलाओं के प्रति पुलिस कार्मिकों को संवेदनशील बनाने, महिलाओं के प्रति अपराध से निपटने के लिए पुलिस को प्रशिक्षण प्रदान करने, आपराधिक कानूनों की विशेषताएं, रात्रि गश्त आदि के लिए पुलिस द्वारा उठाए जाने वाले विस्तृत कदम/कार्रवाई शामिल हैं। ये सलाह गृह मंत्रालय की वेबसाइट [www.mha.gov.in](http://www.mha.gov.in) पर उपलब्ध हैं।